

हापुड-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण की दिनांक 6 अगस्त 2002 को
सम्पन्न हुयी सप्तम बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त एवं निर्णय

स्थान : सभाकक्ष, आयुक्त कार्यालय मेरठ मंडल, मेरठ।

दिनांक : 6 अगस्त 2002

समय : सांय 4.00 बजे



सुनियोजित विकास "आपकी आशा - हमारा ध्येय"

हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण की सप्तम बोर्ड बैठक दिनांक 6.8.2002 का कार्यवृत्त

दिनांक 6.8.2002 को आयुक्त मेरठ मण्डल एवं अध्यक्ष हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में, कार्यालय आयुक्त, मेरठ मंडल, मेरठ में बैठक संपन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया :

1.	श्री एन.एस. रवि	मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ	अध्यक्ष
2.	श्री मुक्तेश मोहन मिश्र	उपाध्यक्ष, हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण, हापुड़	उपाध्यक्ष
3.	श्री संतोष कुमार	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ (राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)	सदस्य
4.	श्री इन्द्रवीर सिंह यादव	अपरजिलाधिकारी - (भूमि अध्यापित) गाजियाबाद (जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद के प्रतिनिधि के रूप में)	सदस्य
5.	इं. बी.के. अग्रवाल	अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (प्रबन्ध निदेशक, जल निगम उ०प्र० के प्रतिनिधि के रूप में)	सदस्य
6.	इं. राजेश निगम	सहायक अभियन्ता - लोक निर्माण विभाग उ०प्र० (प्रमुख अभियन्ता, लो.नि.वि. उ०प्र० के प्रतिनिधि के रूप में)	सदस्य

विशेष आमंत्रित व अन्य उपस्थिति :-

1.	श्री विशाल मांगलिक	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, (उ०प्र० शासन द्वारा नियुक्त कान्फ्रेन्ट आडीटर मै. सचदेवा एण्ड कम्पनी के प्रतिनिधि)	विशेष आमंत्रित
2.	श्री श्याम सिंह यादव	सचिव, हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण, हापुड़	अन्य उपस्थिति
3.	श्री यशपाल सिंह	वास्तुविद एवं नगर नियोजक गा.वि.प्रा. (हु.पि.वि.प्रा. के सलाहकार के रूप में)	"
4.	इं. राधेश्याम शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता, हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण, हापुड़	"
5.	श्री संतोष कुमार कौरिक	सहायक लेखकाधिकारी, गा.वि.प्रा., गाजियाबाद (वित्त नियंत्रक, गा.वि.प्रा./सलाहकार हा.पि.वि.प्रा. के प्रतिनिधि के रूप में)	"
7.	इं. जहीरुद्दीन	सहायक अभियन्ता (मु.), हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण, हापुड़	"



उपाध्यक्ष


अध्यक्ष

वैठक का कार्यवृत्त व निर्णय निम्नानुसार है :

मद सं.	विषय	निर्णय
1	प्राधिकरण की गत (षष्ठम बोर्ड बैठक दिनांक 19.6.2002) की कार्यवाही की पुष्टि।	प्राधिकरण की गत (षष्ठम) बोर्ड बैठक दिनांक 19.6.02 सभागार, मेरठ विकास प्राधिकरण कार्यालय में सम्पन्न हुई थी। उक्त बैठक में लिये गये निर्णय पुनः पूर्ण बोर्ड के समक्ष पुष्टि हेतु, अवलोकनार्थ रखे गये। इस पर कोई आपत्ति किसी सदस्य द्वारा इंगित नहीं की गई। अतः षष्ठम बोर्ड बैठक दिनांक 19.6.2002 में लिये गये निर्णय की पुष्टि हुई।
2	हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण की षष्ठम बोर्ड बैठक दिनांक 19.6.2002 मद संख्या 2 के प्रस्ताव पर लिये गये निर्णय के क्रम में अनुपालन आख्या।	प्राधिकरण की षष्ठम बोर्ड बैठक के निर्णय के क्रम में प्राधिकरण के गठन से अब तक हुई समस्त बोर्ड बैठकों की अनुपालन आख्या अवलोकित की गई। जिस पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि :- पुरानी परिपाटी को छोड़ते हुए भविष्य में बोर्ड के समक्ष समस्त तथ्य रखे जायें तथा अनुपालन आख्या स्पष्ट होनी चाहिये। निर्देशित किया गया कि


उपाध्यक्ष


अध्यक्ष


प्राधिकरण की द्वितीय बोर्ड की मद संख्या 8 तथा चतुर्थ बोर्ड बैठक की मद संख्या 27 की विस्तृत अनुपालन आख्या इस बैठक के कार्यवृत्त के साथ ही प्रस्तुत की जाये।

निर्देशानुपालन में बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 31.10.98 की मद संख्या 8 तथा बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 17.10.2000 की मद संख्या 27 की पुनरीक्षण अनुपालन आख्या विस्तृत विवरण के साथ पुनः निम्नानुसार प्रस्तुत है।

i. बोर्ड बैठक दिनांक 31.10.98 की मद संख्या 8 की पुनरीक्षित अनुपालन आख्या :-

विकास क्षेत्र घोषित होने से पूर्व एवं विनियमित क्षेत्र समाप्त होने की तिथि (21.11.96 से 17.3.98) के मध्य निर्मित/निर्माणाधीन औद्योगिक इकाइयों से विकास शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा प्रचारित किया गया कि इस तरह के जो भी प्रकरण हैं, वे अपनी औद्योगिक इकाइयों के मानचित्र साक्ष्य सहित


उपाध्यक्ष


अध्यक्ष

आवेदन पत्र के साथ प्राधिकरण कार्यालय में दिनांक 30.11.98 तक जमा कराये। किन्तु इस सम्बन्ध में कोई भी मानचित्र प्राप्त नहीं हुआ। वर्तमान में औद्योगिक इकाइयों के मानचित्र नियमानुसार स्वीकृत किये जा रहे हैं तथा औद्योगिक इकाइयों में बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण करने पर धारा 27 व 28 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

ii. बोर्ड बैठक दिनांक 17.10.2000 की मद संख्या 27 की पुनरीक्षित अनुपालन आख्या :-

अवैध निर्माण को शमनित करने में सर्किल रेट को स्पष्ट करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा गया था। ताकि उसके अनुसार शमन शुल्क की गणना की जा सके। बोर्ड के निर्णय के उपरान्त निर्णयानुसार कार्यवाही कर अवैध निर्माण को शमनित किया गया।

चतुर्थ बोर्ड बैठक दिनांक 17.10.2000 के मद संख्या 26 की अनुपालन आख्या का परीक्षण

x. असे अवेध के निवृत्त समी-
दोषी औद्योगिक इकाइयों
के विनाश किये-के अनुमान
आवाइ या विवर्ण अगली
बोर्ड में अन्तर्गत कार्य प्रस्तुत
किया जायेगा।


उपाध्यक्ष


अध्यक्ष

किया गया तथा निर्देशित किया गया कि भूअर्जन के पश्चात प्राधिकरण अपनी निर्धारित दरों पर भूखण्ड देने हेतु अधिकृत है किन्तु सेंचुरी लेमीनेटिंग स्वयं अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि नहीं खरीद सकता तथा अब तक जो कार्यवाही हो चुकी है। इसके आगे कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिये। सेंचुरी लेमीनेटिंग को आगे की भूमि खरीदने की अनुमति न दी जाये। इसी प्रकार पंचम बोर्ड बैठक दिनांक 27.6.2001 के अतिरिक्त मद संख्या 1 के निर्णय के भाग संख्या 3 को भी निरस्त किया गया।


3 मैनेजमेंट ऑडिटर की रिपोर्ट के संबंध में

उपाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि मैनेजमेंट रिपोर्ट अभी इसी माह प्राप्त हुई है तथा उस पर अभी सी.ए. से चर्चा नहीं हो सकी है। अतः प्रस्ताव स्थगित किया गया।

4. हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित पांच योजनाओं की प्रगति।

प्रीत विहार व फल सब्जी मण्डी योजनाओं के अतिरिक्त अन्य योजनाओं के लिए अभी धनराशि की आवश्यकता नहीं है। अतः प्राप्त धनराशि को सरैण्डर कर दिया जाये। जब


उपाध्यक्ष


अध्यक्ष

आवश्यकता होगी तब पुनः
ऋण प्राप्त किया जा सकता है।
अभी अनावश्यक रूप से ब्याज
पड़ रहा है एवं धनराशि
प्राधिकरण को मिली नहीं है पैसा
सरकार के खाते में ही रहा है।
अतः ब्याज का भुगतान
प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जाना
चाहिये। अतः तदनुसार शासन
से अनुरोध किया जाये। फल
सब्जी मण्डी का नामकरण प्रीत
विहार फेज-2 के नाम से किया
जाये।

बोर्ड द्वारा इस योजना के लिए
प्राधिकरण तथा कारुतकारों के
बीच जो वार्ताएं हुई हैं उनका
संज्ञान लिया गया। शासनादेश
द्वारा गठित समिति के माध्यम
से अग्रिम कार्यवाही
नियमानुसार अतिशीघ्र कराते
हुए तीन दिन में अर्थात् दिनांक
9.8.2002 तक आयुक्त के
अनुमोदन हेतु आख्या प्रस्तुत
की जाये एवं तदोपरान्त
प्राधिकरण की आगामी बोर्ड
बैठक पुनः दिनांक 12.8.2002
को आयोजित की जाये। वार्ताओं
के कार्यवृत्त पर संज्ञान लेते हुए

5 प्रीत विहार आवासीय योजना हेतु आपसी
समझौते के आधार पर भू अर्जन की दरों के
सम्बन्ध में बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव


उपाध्यक्ष


अध्यक्ष

यह निर्णय भी किये गये कि गांव के आस-पास मात्र उतने स्थल को जिस पर रिहायशी भवन बना है तथा जिसका उपयोग रिहायशी भाग के रूप में हो रहा हो मात्र उतने स्थल को ही अधिग्रहण से मुक्त रखने की नियमानुसार कार्यवाही की जाये। अन्य किसी भाग को अर्जन से मुक्त नहीं किया जाये। जैसे किसी ने जगह छोड़ने के उद्देश्य से अथवा व्यवसायिक उद्देश्य से कोई निर्माण किया है तो अधिग्रहण से मुक्त न किया जाये।


6 हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण को इन्फ्रास्ट्रक्चर एकाउन्ट खोले जाने से 31.3.2000 तक और मुक्त रखे जाने के सम्बन्ध में

खाता खोल लिया जाये तथा उसमें कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि ही जमा करायी जाये तथा शासन को तदनुसार सूचित करते हुए शिथिलता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया जाय।

7 दिनांक 31.3.2002 के बाद निस्तारित होने वाले समस्त शमन एवं प्रस्तावित मानचित्र पर गत वित्तीय वर्ष 2001-2002 में लिये जा रहे सुदृढीकरण शुल्क/विकास शुल्क, अम्बार शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क पर 10 प्रतिशत चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में।

अनुमोदित किया गया।


उपाध्यक्ष


अध्यक्ष

- 8 विकास प्राधिकरण एवं आवास-विकास परिषद की परिसम्पत्तियों की कार्टिंग के लिये आदर्श मार्गदर्शक सिद्धान्त (गाइड लाइन्स) के सम्बन्ध में। अनुमोदित किया गया।
- 9 शासन द्वारा प्राप्त जोनिंग रेगुलेशन के अंगीकरण हेतु प्रस्ताव। अनुमोदित किया गया।
- 10 उपाध्यक्ष निवास हेतु लिये गये भवन के किराये भुगतान के सम्बन्ध में। दिनांक 1.4.2002 से यह सुविधा इस शर्त के साथ अनुमन्य है कि एच.आर.ए. देय नहीं होगा एवं 1.4.2002 से मूल वेतन का 10 प्रतिशत की कटौती भी की जायेगी।
- 11 श्री श्याम सिंह यादव सचिव को उनके बच्चों की चिकित्सा पर हुये व्यय के सम्बन्ध में। शासनादेश के अनुसार ही कार्यवाही की जाये।
- 12 अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इस सम्बन्ध में प्राधिकरण के पूर्व सहायक अभियन्ता श्री रमाकान्त अग्रवाल के चिकित्सा बिल सम्बन्धित प्रस्ताव रखा गया इस पर भी निर्देशित किया गया कि शासनादेश के अनुसार ही कार्यवाही की जानी चाहिये।


अन्त में सभी को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।


(मुक्तेश मोहन मिश्र)

उपाध्यक्ष

हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण

अनुमोदित


(एन.एस. रवि)

मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल/
अध्यक्ष, हा.पि.वि. प्राधिकरण